***hReferences made by Prime Minister Shri Narendra Modi and Shri Adhir Ranjan Chowdhury on the Occasion of First Sitting of the House in New Building of Parliament**

माननीय प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में, नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। यह अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृतकाल का यह ऊषाकाल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान-3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता मे जी-20 का असाधारण आयोजन, विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में यह अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना है। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारम्भ हुआ है।

सुखद संयोग है कि यह गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता हैं। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता हैं। इस पावन दिवस पर हमारा यह शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नये विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नये संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं तब और अब, आज गणेश चुतर्थी का पर्व है तब लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्थापित कर दिया। पूरे राष्ट्र में स्वराज्य की अलख जगाने का माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से स्वराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम, समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे है। सभी देशवासियों को इस अवसर पर मैं फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवतसरी का भी पर्व है। यह अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमावाणी का पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि-दुक्कड़म् कहने का दिन है। यह पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने-अनजाने किसी को भी दु:ख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी

विनम्रता के साथ पूरे हृदय से आप सभी को, सभी संसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि-दुक्कड़म्। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो अब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है स्पिरिट के साथ । जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक-एक नागरिक के लिए तो वह प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं, यहां तक कि आपने सभी साथियों को भी एक नये रंगरूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वह हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है।

और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब यह नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आज़ादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है, जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का स्पर्श हुआ था। पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि करके आज़ादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत के साथ यह सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वह प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वह प्रतीक है। हम सभी माननीय सांसदों को, हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वह आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है?

आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत की महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों का पसीना इसमें लगा है। कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि जब कार्य चल रहा था, तब मुझे उन श्रमिकों के बीच आने का बार-बार मौका मिलता था। खासकर मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर उनसे मिलने आता था, लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि उनके द्वारा यह निर्मित भवन भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है, इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए यह बहुत बड़ा योगदान दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रम योगियों को नमन तो करता ही हूं, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है। उस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों का पूरा परिचय रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिन्दुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर इस भव्य इमारत को यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सबके लिए गर्व की शुरुआत है।

मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से, हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है कि "यत् भावो ? तत् भवति", इसलिए हमारा भाव जैसा होता है, वैसे ही कुछ घठित होता है। "यत् भावो ? तत् भवति। इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हमने जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है कि जो भावना भीतर होगी, हम भी वैसे ही खुद बनते जाएंगे। वह बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा कि भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। यह संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशहित के लिए किया है। नए भवन में हम सभी अपनी वाणी से, विचार से, आचार से, संविधान की जो स्पिरिट है, उन मानदण्डों को लेकर, नए संकल्पों के अनुसार, नए भाव को लेकर, नई भावना को लेकर और मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष जी हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेटकर भी कह रहे थे। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और सदन के नेता के नाते मैं चाहूंगा कि हम सभी सांसद आपकी आशा और अपेक्षा पर खरे उतरें। हम अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है। आप जैसा दिशा-निर्देश करें, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और इस पार्लियामेंट का जितना समय हमारे पास बचा है, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा, वह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहां आकर भविष्य में बैठना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा। इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है कि ?सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया?, अर्थात् हम सब एकमत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं। इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के

तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है, न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे हैं। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ, इस संवाद के वातावरण में और इस संसद की पूरी डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम अवश्य प्रेरणा देंगे।

संसदीय परम्पराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल इस समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। जी-20 की अध्यक्षता और विमिन लेड डेवलपमेंट की चर्चा का आज दुनिया स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नये पड़ावों को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र की विकास यात्रा में हमें नई मंजिलों को पाना है तो यह आवश्यक है कि विमिन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें और जी-20 में भारत की बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जन-धन योजना शुरू की, 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट की धारक बनी हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है और नया विश्वास भी देता है। जब मुद्रा योजना रखी गयी तो यह देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी के दस लाख रुपये लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर और उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई और महिलाओं का मालिकाना हक बना।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं, जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुछ पल जीवन में प्राप्त होते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, नये सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज का यह पल, आज का यह दिवस संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो तो उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला यह समय है। हम सबके लिए यह पल गर्व का पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद-विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। वर्ष 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए आँकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वह सपना अधूरा रह गया। महिलाओं

को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का काम - शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है, उसको मंजूरी दी गई है। इसलिए आज 19 सितम्बर की यह तारीख इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें तथा हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, बल्कि वे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं।

आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, इस कार्यवाही के अवसर पर देश ने इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों तथा बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मैं सभी माताओं, बहनों बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मति से जब यह बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदनों के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में आपने मुझे मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सर्वप्रथम हमारे लोक सभा के माननीय स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपके प्रति सबकी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस नए सदन में आज नई शुरुआत करने की पहल की है। इसके साथ-साथ मैं अपने देश के हर नागरिक को गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सभी मिल कर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं :

मंजिल को पार कर, नए मंजिल की तलाश कर।

तुझे अगर दरिया मिल जाए, तो समंदर की तलाश कर।

यह हिन्दुस्तान एक दिन में नहीं बना है। हजारों-लाखों शहादतों के चलते, खून-पसीना बहाने के कारण हमारा देश आजाद हुआ था। इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी दिलाने में, जिन्होंने अपना खून-पसीना बहाया, मेहनत की, दिन-रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकाल कर आजादी के रास्ते पर ले गए थे, इस नए सदन से उन सभी को नमन करता हूं। यह आप लोगों की ही विरासत है, जिस विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और उसी विरासत को आगे ले चलते हुए, नए संसद में हम सभी मिल कर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। हमने इसी मंशा के साथ इस संसद में पैर रखे हैं। पहली बार इसके अंदर आते समय मुझसे किसी ने पूछा था कि चलो, एक बार नए सदन को देख लें। मैंने कहा कि नहीं, अगर वहां जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे-धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे।

सर, नए संसद भवन की कल्पना नई नहीं है। हमारी पूर्व लोक सभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी ने पहले यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे सदस्य चुपचाप रोते हैं, silently weeping. हमारी एक और महिला, लोक सभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी भी यह गुहार लगाती थीं कि हमें एक नए संसद भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी खामियां धीरे-धीरे निकल कर आती हैं। यह अच्छा हुआ कि देर-सवेर नया संसद भवन हमें मिला है। यह सरकार जो आज सत्ता में है, इसी सरकार की पहल के चलते नया सदन बना है। यह सब का है, यह किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि यह सबका है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी कहते थे कि देश में कल्टीज़्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। यह देश सब का है, यह देश सिर्फ एमपीज़ का नहीं है। यह पार्लियामेंट सिर्फ एमपीज़ की नहीं है, हिन्दुस्तान के हर नागरिक का इसमें हिस्सा है तो यह हमारे देश की संपदा मानी जाती है। अटल जी भी कहते थे कि होने या न होने का यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम रहेंगे, यह भ्रम सदा पालते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या न हो, हमारा यह ट्रेडिशन, यह विरासत चलती रहेगी। जितने दिन यह हिन्दुस्तान है, उतने दिन हमारी यह विरासत, आज हम तो कल दूसरे इसे लेकर आगे निकलेंगे।

सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधान मंत्री जी और आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी करें, यह मान कर चलिये कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। मान लीजिए, हमारे लिए संविधान गीता, कुरान और बाइबिल से कम नहीं है। इस संविधान में लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते ? Truth always prevails. हम भी चाहते हैं कि सत्य के मार्ग पर हम आगे निकलें और हम अपने देश को सारी दुनिया में रोशन करें।

सर, संविधान के पहले पन्ने में यह लिखा गया, जिसको हम प्रिएम्बल कहते हैं। प्रिएम्बल में यह लिखा गया है**?** ?We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; ? (*Interruptions*) सर, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं।? (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी तो काफी बोले हैं।? (व्यवधान) सर, मुझे भी बोलने दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको इजाज़त यहां से मिलेगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं संविधान पढ़ रहा हूं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आप संविधान पढ़िये।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: ??equality of status and of opportunity; and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; in our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.?

14.00 hrs

सर, मैंने इसलिए यह पढ़ा क्योंकि इसमें लिखा है, ?We, the People of India?. इसमें यह नहीं लिखा गया है कि ये हिन्दू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चन, ये जैन की तरह अलग-अलग यह प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र रूप से मिलकर, ?We, the People of India?, इसका मतलब है, सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने मिलकर यह शपथ ली थी।

सर, इसमें 395 आर्टिकल्स शामिल किये गये थे। उसमें जो पहला आर्टिकल है, उसमें यह लिखा जाता है कि India, that is Bharat, shall be a Union of States. मतलब ?भारत? और ?इंडिया? के बीच कोई अंतर नहीं है। जो ?भारत? होता है, वही ?इंडिया? है, जो ?इंडिया? होता है, वही ?भारत? है। किसी बहाने से ज़बरदस्ती, इसके अन्दर दरार पैदा करने की कोई कोशिश न करे, तो बेहतर होगा। कुछ-कुछ जगहों पर यह आशंका फैलाई जाती है कि हमारे देश में, हम हिन्दुत्व की बात तो सुनते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हिन्दुत्व की बात भी आ जाएगी क्या? आम लोगों में यह चर्चा है।

मैं सबके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि यह मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारे संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, सभी हमारे देश की लैंग्वेजेज हैं, इसलिए इसमें दरार पैदा करने की कोई कोशिश न हो, तो बेहतर होगा। यह मैं जरूर आपसे माँग करता हूँ।

सर, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जी-20 की बात कही। उन्होंने शुरुआत तो की थी राष्ट्रपति महोदय के भाषण के साथ, फिर पार्लियामेंट में नो-कांफिडेंस की बात की, उसके बाद जी-20 की बात को तो हम लोग हर दिन देखते ही हैं। हमने लोक सभा में भी देखा और आज सेन्ट्रल हॉल में भी देखा, हम यहाँ भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का हर भाषण सुनते-सुनते, मान लीजिए वह हमारे जेहन में सिमट गये हैं।

मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ। सर, देखिए! सदन की गरिमा की बात की जाती है, लेकिन सरकार ने कम-से-कम यह कभी सोचा है कि हमारे सदन में स्पीकर हैं, लेकिन डेप्युटी स्पीकर नहीं हैं। ऐसा क्यों? आज़ादी के बाद पहली बार, संविधान की रचना होने के बाद पहली बार इस सदन में स्पीकर साहब हैं, लेकिन डेप्युटी स्पीकर नहीं हैं। ऐसा क्यों?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, अगर आप बोलने का समय देंगे, तो मैं बोलूँगा।

माननीय अध्यक्ष : अब समय राज्य सभा के शुरू होने का है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यही तो हमारी माँग है। यह उधर भी था, इधर भी है। इसलिए हमें वहाँ तक अपनी बात पहुँचानी होती है, इसलिए हम कभी-कभी थोड़ा जोर से बोलते हैं। आपने स्थान बहुत ऊँचा कर दिया है।

सर, अभी-अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आरक्षण की बात कही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण वर्ष 1989 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन्होंने सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात, कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, इसका कानून बने।? (व्यवधान) लोक सभा एवं विधान सभाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए राजीव जी की सरकार ने? (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा।? (व्यवधान) कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, प्रधान मंत्री जी आप खुद देख लीजिए।? (व्यवधान) आप लोग प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं।? (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने खुद आप लोगों को सिखाया था कि सदन में कैसा व्यवहार करते हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार और डॉ. मनमोहन जी की सरकार ने, अलग-अलग सरकारों ने, अलग-अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसे पास कराने का प्रयास किया। यह कभी राज्य सभा में पास होता था, लेकिन लोक सभा में पास नहीं होता था। कभी लोक सभा में पास होता था, तो राज्य सभा में गिर जाता था। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त, जो यह बिल आया, वह आज तक जीवित है। वह आज तक जीवित है, जो राज्य सभा में पास हुआ है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप कनक्लूड करें।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारे सीडब्ल्यूसी की बैठक में, कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, वह तब पारित हुआ, ? (व्यवधान) इसलिए यह माँग की गई है।? (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, यह फैक्चुअली गलत है।? (व्यवधान) यह वास्तविकता नहीं है।? (व्यवधान) रेकॉर्ड देख लिया जाए लोक सभा का।? (व्यवधान) यह फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह जो विशेष सत्र है, इसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, उसे पारित किया जाए।? (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है।? (व्यवधान) यह ऐतिहासिक है।? (व्यवधान) आपको ज्ञात है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था।? (व्यवधान) हम फिर से उस मांग को स्पष्टता के साथ दोहराते हैं।? (व्यवधान) सर, बातें तो बहुत कुछ हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, आप बाद में बोलिएगा। आप महिला आरक्षण बिल के समय बोलिएगा। आज सिर्फ सदन में स्वागत के बारे में बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, प्रधान मंत्री जी सेंगोल दिखा रहे थे।? (व्यवधान) ये सेंगोल के इतिहास के बारे में बता रहे थे। मैं इनको सेंगोल के इतिहास के बारे में बता देता हूं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन के भवन के बारे में चर्चा मत कीजिए।

? (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: When India attained Independence from the British, the then Governor General Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. ?What is the ceremony that should be followed to symbolise the transfer of power from British to Indian hands?? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, माननीय गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। कृपया उन्हें अलाऊ कर दिया जाए।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही हैं।? (व्यवधान) या तो वे उन्हें विदड्रॉ करें या आपको सदन की टेबल पर उनको रखवाना चाहिए।? (व्यवधान) पहला, महिला आरक्षण बिल लोक सभा में पास हुआ था? कभी पास नहीं हुआ था।? (व्यवधान) दूसरा, कि यह बिल पुराना है, लोक सभा में लंबित है।? (व्यवधान) वर्ष 2014 में ही, लोक सभा के विघट्न के साथ ही, यह बिल निरस्त कर दिया गया था।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं।? (व्यवधान) इनकी स्पष्टता के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इनकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए।? (व्यवधान) या तो इसे रिकॉर्ड से दूर किया जाए, या तो ये उसके संबंध में स्टेटमेंट टेबल पर रखें।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सर, पहला दिन है, कृपया इन्हें बोलने दिया जाए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप प्लीज़ कनक्लूड कीजिए। आज पहला दिन है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप धन्यवाद दे दीजिए।

? (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The then Governor General Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. ?What is the ceremony that should be followed to symbolise the transfer of power from British to Indian hands??

Nehru then consulted C. Rajagopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the last Governor General of India. Rajaji identified the Chola model where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by a high ruler. The symbol used was the handover of ?Sengol? or sceptre from one king to his successor.

A golden sceptre was crafted by Vummidi Bangaru Chetty, a famous jeweller in the Madras Presidency. The makers of the Sengol, Vummidi Ethirajulu and Vummidi Sudhakar are living in Chennai. सर, मैं इतिहास के बारे में बता रहा हूं। On August 14, 1947, the deputy priest of Thiruvavaduthurai Adheenam, Nagaswaram player Rajarathinam Pillai and an Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to the Capital from the then Madras Presidency.

The ceremony was conducted as per Tamil traditions and the Sengol was handed over to Nehru at his house. इसमें कोई नई बात नहीं है। इसे लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यह हमारे देश में कोई नई आजादी हुई है, कुछ नया हो रहा है।

सर, मेरी बहुत सारी सलाह है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप यह मत समझिए कि यह सिर्फ ईंट, गार्टर और पत्थर का सदन है। This building is not built with bricks and mortar only. It is the soul of our India, the soul which was long suppressed, finds utterance in the wake of attaining Independence.

Again, I am saying their soul should not be suppressed again by any design. That is my view.

I am concluding my speech because I do not find adequate time to make my point further.

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।? (व्यवधान) माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा, वह फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है।? (व्यवधान) मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है।? (व्यवधान) अधीर रंजन जी ने जो कहा है, उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उन्हें टेबल पर रखना चाहिए। यह एक बात है या फिर उन्हें अपना स्टेटमेंट विदड्रा करना चाहिए।

दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोक सभा ने भी कभी पारित किया था, राजीव गाँधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है।? (व्यवधान) इन दोनों चीजों को? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): हम भी मेंबर थे, उस टाइम में हुआ था।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठिए ना।? (व्यवधान) मैं आगे कहता हूँ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए।? (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, कृपया बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्य सभा उसे पारित नहीं करती है और लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वह बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूँ कि उन्हें इस चीज की स्पष्टता करनी चाहिए।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वह बात बिल्कुल ठीक है।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो वह उन्हें सदन के टेबल पर रखनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी।

-